Title: Request the Government to pay the wages to workers of the Textile Mills, Kanpur, Uttar Pradesh and implement the agreement signed between the Labour unions and the Government.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कानपुर के मजदूरों की समस्या की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर मुझे ५ मिनट पहले मौका दे दिया होता तो यहां उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया था कि...

MR. SPEAKER: Please understand that you have given your notice at 10.10 a.m. and yet I have called your name. You have to give your notice by ten o"clock.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL : That is very good of you, Sir.

मैं ध्यान रखूंगा। कानपुर की एल्गिन मिल नं.१ और एल्गिन मिल नं. २ और कानपुर टैक्सटाइल लिमिटेड के ६ हजार मजदूर बेकार हैं। गत तीन महीनों से प्रबंधकों द्वारा इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि यह मामला हाई कोर्ट में लम्बित है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से जानना है कि मामला होई कोर्ट में लम्बित हो या सुप्रीम कोर्ट में, इसका वेतन से क्या ताल्लुक है? सन् १९९४ में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री जी. वेकटस्वामी और श्री पी.ए.संगमा और श्रमिक संगठनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि २५०० करोड़ रुपया खर्च करके एन.टी.सी. मिलों का आधुनिकीकरण किया जायेगा और मिलें चलाई जायेंगी। सन् १९९६ में उक्त मंत्रियों और श्रमिक संगठनों के बीच यह भी समझौता हुआ था कि उक्त समझौता

BIC

की मिलों पर भी लागू होगा। यह बात १९९६ के द्विपक्षीय वार्ता की कार्यवाही के मिनटस में लिखी हुई है। इसके बाद सरकार ने एल्गिन मिल नं. १ और एल्गिन मिल नं. २ और कानपुर टैक्सटाइल लिमिटेड का मामला

BIFR

को दे दिया है।

बी.आई.एफ.आर. ने इन मिलों को चलाने की योजना सरकार को दी। लेकिन बी.आई.एफ.आर. में सुनवाई के समय सरकार ने अपने ही दिये हुए पैकेज को लागू करने की मंजूरी नहीं दी। अपने ही स्वीकृत पैकेज के उपरान्त बी.आई.एफ.आर. तथा ए.ए.आई.एफ.आर. के सामने सरकार ने पुनर्वास की जो योजना दी थी, उसे भी लागू नहीं किया गया और बी.आई.एफ.आर. ने इन मिलों को बंद करने का आदेश पारित कर दिया। बी.आई.एफ.आर. का आदेश लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में लम्बित है, चूंकि ये मिलें उत्तर प्रदेश की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज ने बी.आई.एफ.आर. के आदेश को मान लिया और मिलों को बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद हमारे श्रमिकों ने अपील की। उस पर पूरी बैंच ने यह निर्णय दिया कि ये मिलें बंद न की जाए चालू की जाए और इन श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। इसके बाद आज तीन महीने हो गये हैं। २७ दिन से लगातार कानपुर के बी.आई.सी. के छः हजार मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। २४ घंटे से उनका धरना चल रहा है। लेकिन अभी तक तनख्वाह के मामले में सरकार ने न तो कोई निर्णय लिया है और न किसी निर्णय के बारे में सूचित किया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि कम से कम इन मजदूरों को वेतन दिया जाए और मजदूर संघों का केन्द्र सरकार के साथ इन मिलों को चालू करने की नई पेशकश के बारे मे समझौता हुआ था, उसे लागू किया जाए।